BIDYA SAGAR TIWARI
Director (Technical)
बिद्या सागर तिवारी
निदेशक (तकनीकी)

UTTAR PRADESH RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.
(U.P.GOVT. UNDERTAKING)
CIN: U40101UP1980SGC005065
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0
(उ0 प्र0 सरकार का उपकम)

पत्रांक– /उनिलि/प्रगति/ई–टेण्डरिंग/2019 दिनांक: 26/04/2019

मख्य अभियन्ता एवं परियोजना समन्वयक
अनपरा/ओबरा/पारीछा तापीय परियोजना
मख्य अभियन्ता
हरदुआगंज/पनकी/जवाहरपुर तापीय विद्युत परियोजना

विषयः उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में निविदा निस्तारण हेतु दिशा निर्देश।

उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में निविदा निस्तारण हेतु प्रबन्ध निदेशक, उ0नि0लि0 महोदय द्वारा एक समिति का गठन किया था। उक्त समिति द्वारा उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में निविदा निस्तारण हेतु दिशा निर्देशों की संस्तुति की गई है। अध्यक्ष, उ0नि0लि0 महोदय के अनुमोदनोंपरान्त उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में निविदा निस्तारण हेतु निम्नलिखित दिशा–निर्देश जारी किये जाते हैं:–

1. **निगमादेश संख्या 107–उनिलि/रिफॉर्म/कार्य नीति/2014 दिनांक 19 जुलाई 2014 द्वारा जारी कार्य नीति के अनुसार कार्य/सेवा अनुबन्धों को निस्तारण किया जाये।**

कार्य नीति के मुख्य बिन्दु निम्न हैं:–

i. निविदाओं का प्रकाशन अधीक्षण अभियन्ता द्वारा किया जायेगा। निविदा निस्तारण के उपरान्त कार्यादेश सम्बन्धित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता द्वारा निर्गत किये जायेगें और वही Engineer of Contract होगें।

ii. विभिन्न खण्डों के एक समान कार्य हेतु एक निविदा आमंत्रित की जायेगी।

iii. विगत तीन वर्ष के खपत के आधार पर अधिशासी अभियन्ता द्वारा कार्य की आवश्यकताओं को अधीक्षण अभियन्ता एवं ओ0एण्डएम0 प्रमुख से अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। ओ0एण्डएम0 प्रमुख द्वारा खण्डों के लिए प्राविधानित बजट की उपलब्धता को सुनिश्चित कर अनुमोदन प्रदान किया जायेगा। बजट उपलब्धता का कड़ाई से अनुपालन किया जाये।

iv. उपरोक्तानुसार अनुमोदित आवश्यकताओं को नीति के अनुसार प्राविधानित निविदा विशिष्टीकरण समिति के समक्ष रखा जायेगा। समिति द्वारा निविदा का प्रकार, विशिष्टयों एवं अर्हता शर्त (Pre Qualifying Requirements) को निर्णित किया जायेगा एवं प्रकाशन हेतु संस्तुति की जायेगी।

14–अशोक मार्ग, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ–226001
14-Ashok Marg, Shakti Bhawan Extn., Lucknow
Tele: 0522-2287859 FAX-0522-2287840 e-mail: director.technical@uprvunl.org

BIDYA SAGAR TIWARI
Director (Technical)
बिद्या सागर तिवारी
निदेशक (तकनीकी)

v. निविदा विशिष्टीकरण समिति द्वारा संस्तुति के उपरान्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया जायेगा।

2. निगमादेश संख्या 168–उनिलि/रिफॉर्म/कयनीति/2010–11 दिनांक 30 जुलाई 2010 द्वारा जारी कय नीति के अनुसार सामग्री कय के अनुबन्धों का निस्तारण किया जाये।

कय नीति के मुख्य बिन्दु निम्न हैं:–

i. परियोजनावार सामग्री की खरीद का कार्य Central Procurement Circle द्वारा ही किया जायेगा।

ii. प्रत्येक खण्ड विगत तीन वर्षो की खपत के आधार पर अपनी आवश्यकता का अनुमोदन O&M प्रमुख से लेते हुये Central Procurement Circle को भेजेगा। इस आवश्यकता में खरीद हेतु विस्तृत विशिष्टियों का विवरण भी उपभोगी खण्ड द्वारा भेजे जायेंगें।

iii. Central Procurement Circle सभी खण्डों की आवश्यकताओं को केन्द्रीय भण्डार खण्ड में उपलब्ध सामग्रियों से कम करते हुए शेष सामग्री को Compile कर एक समान सामग्री की खरीद हेतु एक निविदा तैयार करेगा।

iv. उपरोक्तानुसार अनुमोदित आवश्यकताओं को नीति के अनुसार प्राविधानित निविदा विशिष्टीकरण समिति के समक्ष रखा जायेगा। समिति द्वारा निविदा का प्रकार एवं विशिष्टयों को निर्णित किया जायेगा एवं प्रकाशन हेतु संस्तुति की जायेगी। साथ ही समिति खण्ड स्तर पर आवश्यकताओं के अनुमोदन तथा खण्ड स्तर पर आवंटित बजट के प्राविधान को सुनिश्चित करेगी।

v. निविदा विशिष्टीकरण समिति द्वारा संस्तुति के उपरान्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया जायेगा।

3. तत्पश्चात् कार्यालय ज्ञाप संख्या 121/उनिलि/प्रगति/ई–टेण्डरिंग/2017 दिनांक 01–09–2017 के अनुपालन में सभी निविदाओं को etender.up.nic.in के पोर्टल के माध्यम से ई–निविदा प्रकाशित की जायेगी।

i. निविदाकारों द्वारा RTGS के माध्यम से निविदा शुल्क एवं धरोहर राशि जमा किया जायेगा। बैंक गारण्टी के रूप में धरोहर राशि जमा करने पर बैंक गारण्टी का Scanned प्रति निविदाकारों द्वारा निविदा प्रपत्र के साथ Upload करना होगा।

14–अशोक मार्ग, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ–226001
14-Ashok Marg, Shakti Bhawan Extn., Lucknow
Tele: 0522-2287859 FAX-0522-2287840 e-mail: director.technical@uprvunl.org

ii. ई–निविदा के माध्यम से जमा Scanned PDF Document ही तकनीकी भाग खोलने में मान्य होगें। वित्तीय भाग के लिए जारी निविदा में दिये गये निर्देशानुसार XLS Format मान्य होगें।

iii. ई–निविदा हेतु etender.up.nic.in एवं uprvunl.org पर दिये गये निर्देश के अनुसार कार्यवाही की जाय।

4. निविदा का द्वितीय भाग खोले जाने के उपरान्त समय समय पर जारी निगमादेश द्वारा गठित निविदा समिति के प्राधिकार के अनुसार समिति के समक्ष प्रस्ताव को रखा जायेगा। सक्षम समिति द्वारा निविदा के तकनीकी एवं वित्तीय परीक्षण उपरान्त मोलभाव, निरस्तीकरण या कार्यादेश जारी करने का निर्णय लिया जायेगा। तद्उपरान्त अग्रेतर कार्यवाही की जाये।

5. **कारपोरेट निविदा समिति/निदेशक निविदा समिति के विचारार्थ भेजे जा रहे प्रस्तावों के सम्बन्ध में कार्यालय ज्ञाप 2584/पीपीएमएम/मुख्यालय/सीटीसी दिनांक 18–06–2012 के अनुसार कार्यवाही की जाये।**

6. सामग्री खरीद के सम्बन्ध में सामग्री के प्री डिस्पैच इनस्पैक्सन का कार्य क्रय नीति में प्राविधानित गठित समिति द्वारा किया जायेगा।

7. क्रय की गयी सामग्री केवल केन्द्रीय भण्डार में ही प्राप्त की जायेगी। सामग्री की मात्रा तथा गुणवत्ता क्रयनीति में प्रावधानित समिति द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

8. कार्यो की गुणवत्ता का निर्धारण कार्यनीति में प्रावधानित सम्बन्धित मण्डल प्रमुख द्वारा सम्बन्धित खण्डों के साथ मिलकर किया जायेगा।

9. नवीन कार्य जिसमें निगम की विशेषज्ञता न हो तो उसके लिए सलाहकार नियुक्त किया जाना आवश्यक होगा। नवीन कार्य जिसका अनुमानित लागत रू0 1.00 करोड़ से अधिक है उसके लिए Pre Bid Meeting कराया जाना आवश्यक होगा।

10. रू0 30.00 लाख से अधिक अनुमानित मूल्य के कार्य एवं क्रय से सम्बन्धित पूर्व अर्हता शर्तें परियोजना प्रमुख एवं परियोजना के लेखा प्रमुख द्वारा विदीक्षित किया जाये।

11. अर्हता शर्तों के आधार पर किसी निविदाकार को कार्य अथवा क्रय की निविदा का वित्तीय भाग खोले जाने से पहले Reject करने की स्थिति में एक Rejection Committee का गठन किया जायेगा, जिसके सदस्य

BIDYA SAGAR TIWARI
Director (Technical)
बिद्या सागर तिवारी
निदेशक (तकनीकी)

निम्नानुसार होगें:–

i.	परियोजना प्रमुख	–	अध्यक्ष
ii.	परियोजना के लेखा प्रमुख	–	सदस्य
iii.	सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता	–	संयोजक

12 OEM से एकल निविदा से सामग्री क्रय किये जाने की स्थिति में केवल OEM ऑफर ही मान्य होगा।

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

बिद्या सागर तिवारी)
निदेशक (तकनीकी)

पत्रांक– 45 /उनिलि/प्रगति/ई–टेण्डरिंग/2019 तद्दिनांक: 26/04/2019
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. अध्यक्ष, उनिलि, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उनिलि, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. निदेशक (वित्त)/निदेशक (तकनीकी)/निदेशक (कार्मिक)/निदेशक (परि0 एवं वा0), उनिलि, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता, पीपीएमएम/तापीय परिचालन/ईधन/आर0एण्ड0एम0/वाणिज्य/मानव संसाधन/जानपद/पर्यावरण एवं सुरक्षा, उनिलि, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।
5. मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त), महाप्रबन्धक (लेखा), महाप्रबन्धक (संप्रेक्षा), उनिलि, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।
6. कम्पनी सचिव, उनिलि, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।
7. उपमहाप्रबन्धक (लेखा), उप मुख्य लेखाधिकारी,अनपरा/ओबरा/पारीछा/पनकी/हरदुआगंज/जवाहरपुर तापीय परियोजना, उनिलि, सोनभद्र/झॉसी/कानपुर/अलीगढ/एटा, उ0प्र0।
8. कट फाइल।

बिद्या सागर तिवारी)
निदेशक (तकनीकी)